न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 77/2019

जीसीएमएस नम्बर :– 2019/00203

उनवान

1. लच्छु आत्मज रायमल गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. छोगा आत्मज रायमल गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बालु आत्मज रायमल गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. शंकर आत्मज नैनु गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कंवरलाल आत्मज नैनु गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. धर्मा आत्मज मांगु गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हीरा आत्मज मांगु गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भागु आत्मज मांगु गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92क, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिशचन्द टेलर – वादीगण अधिवक्ता
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 एकपक्षीय

निर्णय दिनांक– 25/5/26

1. पत्रावली का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में तत्कालीन खातेदार भैरा आत्मज जेता गुजर निवासी सगरेव के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खरीदशुदा एवं आंवटनशुदा आराजियात का एक ही खाता कायम किया है जिससे रायमल पिता भुरा गुर्जर की निम्न साबिक आराजियात स्थित थी –

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा
1	344	457/1	8 बिस्वा
2	344	670	1 बीघा 6 बिस्वा
3	344	621	2 बीघा 1 बिस्वा
4	344	671	6 बिस्वा
5	344	743/4क	6 बिस्वा
6	344	773	1 बीघा 11 बिस्वा
7	344	774	1 बीघा 6 बिस्वा
8	344	743/2	1 बीघा 15 बिस्वा
9	344	832	2 बिस्वा गै.मु. चाह
10	344	874/3	3 बिस्वा गै.मु. चाह
11	344	876	2 बीघा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

Scanned with OKEN Scanner

12	344	877	2 बिस्वा
13	344	878	1 बीघा 4 बिस्वा
14	344	901	1 बीघा 17 बिस्वा
15	344	902	1 बीघा
16	344	1568/2	5 बीघा 6 बिस्वा
17	344	1569	12 बिस्वा
18	344	1570	1 बीघा 16 बिस्वा
19	344	1571	12 बिस्वा
20	344	1572	9 बिस्वा
21	344	1575	1 बीघा 7 बिस्वा
22	344	1574	1 बीघा 16 बिस्वा
23	344	1576	3 बीघा 8 बिस्वा
24	344	1577	2 बीघा 19 बिस्वा
25	344	879	2 बीघा 3 बिस्वा
26	344	1232	3 बीघा 3 बिस्वा
	कुल किता कुल रकबा	**26**	**38 बीघा 18 बिस्वा**

प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2029 से 2032 तक साथ पेश है।

2. वादीगण के पिता रायमल आत्मज भुरा गुजर के दो सगे भाई उदा व मांगु थे। उक्त भूमियां रायमल की स्वअर्जित आराजियात थी किन्तु वादीगण के पिता रायमल के पीठ पिछे उदा व मांगु ने उक्त वर्णित भूमियों नामान्तरण संख्या 1278 दिनांक 27.01.1983 के जरिए गैर कानुनी तरीके से उदा व मांगु का नाम भी रायमल के साथ दर्ज करवा दिया। रायमल ने उक्त भूमियों को ने तो कभी बैचान की एवं न बक्षीय सा किसी विधिक तरीके से अन्तरित ही की। उक्त भूमियां बिना किसी न्यायालय आदेश के उदा व मांगु आत्मज भुरा का नाम भी दर्ज कर दिया। उक्त नामान्तरण संख्या 1278 दिनांक 27.01.1983 व मिसल संख्या 256/83 का निर्णय शुरू से ही शुन्य है। प्रमाण में नामान्तरण संख्या 1278 व जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 की प्रति पेश की है।

3. उक्त वर्णित भूमियां रायमल, उदा, मांगु पिता भैरा के नाम पर गैर कानुनी तरीके से दर्ज चली आ रही है तथा रायमल की मृत्यु हो जाने से वादीगण के नाम पर व उदेराम, मांगु आत्मज भुरा के नाम दर्ज चलती रही है। उदा व मांगु की मृत्यु हो गई जिसका सजरा पेश किया गया है। उक्त वर्णित भूमियों पर कब्जा रायमल व उसके पश्चात् वादीगण का ही रहा है।

4. तहसील रायपुर का भुप्रबन्ध हुआ जिससे ग्राम सगरेव का नवीन भुप्रबन्ध से वादग्रस्त आराजियात के नवीन नम्बर कायम किए गए जो निम्न है –

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	684	1218	0.08
2	684	1785	0.44
3	684	1837	0.28
4	684	1838	0.07
5	684	2352	0.68
6	684	3257	0.27
7	684	3258	0.26
8	684	3261	0.10

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

Scanned with OKEN Scanner

9	684	3262	1.10
10	684	3264	0.41
11	684	3265	0.44
12	684	3266	0.32
13	684	3267	0.11
14	684	3268	0.12
15	684	3269	0.11
16	684	3270	0.07
17	684	3271	0.38
18	684	3272	0.26
19	684	3788	0.12
20	684	3789	0.13
21	684	3790	0.13
22	684	3792	0.06
23	684	3818	0.18
24	684	3819	0.22
25	684	3820	0.21
26	684	3893	0.02 गे.मु.चाह
27	684	3941	0.03 गे.मु.चाह
28	684	3943	0.21
29	684	3944	0.22
30	684	3945	0.02
31	684	3946	0.13
32	684	3947	0.13
33	684	3948	0.21
34	684	3949	0.12
35	684	3950	0.13
36	684	3977	0.21
37	684	3978	0.19
38	684	3979	0.22
	कुल किता कुल रकबा	**38**	**8.39**

प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित नकल, हाल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 की साथ पेश की है। उक्त वर्णित आराजियात गैर कानुनी तरीके से वादीगण के साथ–साथ उदा व मांगु का नाम जोड़ देने से वादीगण के साथ साथ प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के भी संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है। वर्तमान में उक्त भूमियों पर वादीगण का कब्जा है। जिससे वादीगण तन्हा खातेदार काश्तकार है वह इस आशय की घोषणात्मक डिकी जारी करवाने के अधिकारी है। साथ ही उक्त उक्त भूमियों रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर देंगे तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिससे वादीगण वादग्रस्त आराजियात पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

5. अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम सररेव की वादग्रस्त नवीन खाता संख्या 684 में अंकित कुल किता 38 कुल रकबा 8.39 है0 भूमि के वादीगण तन्हा खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का नाम विलोपित करवा सम्पूर्ण भूमियां वादीगण के नाम खातेदारी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

Scanned with OKEN Scanner

हक से दर्ज कराने के अधिकारी है तथा तदनुसार इन्द्राज दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजियात से वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण नाजायज दखलंदाजी न तो स्वयं करे व न अन्य से करावे तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमियां उनके नाम पर गलत दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर उन्हे किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें।

6. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 21.07.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व दिनांक 15.02.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार रायपुर औपचारिक पक्षकार है।

7. प्रकरण में वादी छोगालाल पिता रायमल गुर्जर निवासी सगरेव व वादी बालु आत्मज रायमल गुर्जर निवासी सगरेव ने शपथ पत्रों पर अपने–अपने बयान प्रस्तुत किए गए। अपने बयानों में वादपत्र का अंकन करतु हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का नाम गैर कानुनी रूप से दर्ज चला आ रहा है जिसको हटाया जाकर वादग्रस्त आराजियात का वादीगणों का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

8. प्रकरण में वादीगण ने रेकार्ड का प्रदर्श कराया गया जो निम्न है –

क.स.	विवरण	प्रदर्श
1	साबिक जमाबन्दी संवत 2009 से 2012 खाता संख्या 114	प्रदर्श–1
2	बिकाव पत्र की छाया प्रति	प्रदर्श–2ए
3	साबिक जमाबन्दी संवत 2009 से 2012 खाता संख्या 362	प्रदर्श–3
4	साबिक जमाबन्दी संवत 2009 से 2012 खाता संख्या 140	प्रदर्श–4
5	साबिक जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 खाता संख्या 344	प्रदर्श–5
6	नामान्तरण संख्या 1278	प्रदर्श–6
7	साबिक जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 खाता संख्या 83	प्रदर्श–7
8	साबिक जमाबन्दी संवत 2039 से 2044 खाता संख्या 475	प्रदर्श–8
9	साबिक जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 खा.सं. 342/2, 342/1	प्रदर्श–9
10	साबिक जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 खाता संख्या 490	प्रदर्श–10
11	साबिक जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 खाता संख्या 540	प्रदर्श–11
12	मिलान क्षेत्रफल की प्रताणित प्रति	प्रदर्श–12
13	हाल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 684	प्रदर्श–13

9. वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त साबिक आराजी संख्या 879, 878, 876, 1232, 832, 874/3, 877 का दिनांक 19.03.1953 को विक्रय हुआ है। क्रेता रायमल द्वारा उक्त आराजियात का कब्जा प्राप्त किया गया था। प्रदर्श–1 के अनुसार वादीगण के पूर्वज रायमल के नाम उक्त कयशुदा भूमि दर्ज हो गई। वादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार भैरा पिता जैता गुर्जर ने रायमल को बैचान किया था।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)रायपुर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त खरीदशुदा 8 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता रायमल की स्वअर्जित भूमि थी। वादपत्र के कलम संख्या 2 में अंकित भूमि साबिक आराजी संख्या 457/1, 670, 773, 774, 743/2क, 677, 1568/2, 743/2 कुल रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्वअर्जित अकेले रायमल के नाम दर्ज रेकार्ड थी। वादपत्र की कलम संख्या 3 में दर्ज भूमि रायमल को आंवटित भूमि है। उक्त वर्णित सभी भूमियों का एक खाता बनाया गया। वादपत्र की कलम संख्या 4 में वादग्रस्त भूमि का सम्पूर्ण खाते का विवरण है जो जमाबन्दी संवत 2029 से 2032 में रायमल पिता भुरा के नाम दर्ज रेकार्ड है। रायमल की भूमि पर रायमल के भाई उदा व मांगु का कोई अधिकार नहीं था। रायमल की भूमि में नामान्तरण संख्या 1278 दिनांक 27.01.1983 को उदा व मांगु का नाम जोड़ा गया था जबकि कोई बैचान, कोई न्यायिक आदेश, कोई उपहार नहीं हुआ है, केवल इन्द्राज दुरूस्ती लिखा गया इसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी/आदेश का हवाला नहीं है। रजिस्टर्ड दस्तावेज या विरासत के अलावा अन्य कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर आराजियात में किसी व्यक्ति का नाम जोड़ा जाए। वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होने से वादग्रस्त आराजियात के खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार किसी को नहीं है। नामान्तकरण संख्या 1278 शुरू से ही शुन्य है। उक्त नामान्तरण के सम्बन्ध में कोई मिसल कायम नहीं की गई है क्योंकि सक्षम अधिकारी का हवाला नहीं है। राजस्व इन्द्राज के आधार पर कानूनी अधिकार नहीं मिलते है। वादग्रस्त आराजियात के नामान्तरण का अमल दरामद भी अवैध है। वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के पिता के साथ साथ उदा, मांगु का नाम दर्ज हो जाने से विरासत से आगे प्रतिवादीगण के नाम खाते में दर्ज चले आ रहे है। कृषि आराजियात के राजस्व रेकार्ड में किसी भी प्रकार की इन्द्राज दुरूस्ती का अधिकार केवल राजस्व न्यायालय को है। वादग्रस्त आराजियात में उदा एवं मांगु का नाम दर्ज होने से रायमल का हिस्सा 1/3 हो गया है। वादपत्र की कलम संख्या 7 में सजरे का अंकन किया गया है। वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा वादीगण का है, प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में फैसल हुई है। वादीगण को वादग्रस्त आराजियात का तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए। प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वादपत्र में तनकी नहीं बनाई गई, प्रकरण में सीधे ही साक्ष्यवादी हुई है। वादी छोगा पिता रायमल व बालु पिता रायमल ने शपथ पत्र पर बयान एवं अपनी गवाही प्रस्तुत की है। दस्तावेजी साक्ष्य से साबित हुआ है कि किसी भी अन्तरण दस्तावेज बिना नामान्तरण दर्ज किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र का कोई खण्डन नहीं किया गया अतः वादपत्र के तथ्यों की प्रतिवादीगण द्वारा खामोश स्वीकृती है। अतः प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजियात का वादीगण को तन्हा खातेदार घोषित किया जाए। वादपत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त पेश किए जो निम्न है – 1. आरआरटी 2025 (1) पेज 605, 2. आरआरटी 2020 (1) पेज 37, 3. आरआरटी 2024 (2) पेज 1067 है।

10. न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं हाल रेकार्ड एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया तो पाया कि –

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श–1 साबिक जमाबन्दी संवत 2009 से 2012 में आराजी संख्या 832, 874/3, 877, 879, 878, 880, 876, 1232 कुल किता 8 भूमि भैरा पिता जेता के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसमें आराजी संख्या 876 पर मु.बी.क. के रूप में रायमल पिता भुरा गुजर का नाम दर्ज था।

प्रदर्श–2ए पंजीकृत विक्रय पत्र है जिसमें आराजी संख्या 879, 878, 876, 1232, 832, 874/3, 877 कुल किता 7 भूमि रायमल पिता हीरा गुर्जर द्वारा भैरा पिता जेता गुर्जर से क्रय की गई थी। अतः उक्त 7 आराजियात के रायमल के स्वअर्जित होने के दस्तावेजी प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध है।

प्रदर्श–3 संवत 2009 से 2012 की खाता संख्या 362 की जमाबन्दी में वादीगण के पिता रायमल द्वारा क्रय की गई आराजियात, आराजी संख्या 832, 874/3, 877, 876, 1232, 879, 878 कुल किता 7 रायमल पिता भुरा गुर्जर के नाम दर्ज रेकार्ड है।

प्रदर्श–4 संवत 2009 जमाबन्दी खाता संख्या 140 में अंकित आराजी संख्या 457/1, 670, 773, 774, 743/4क, 671, 1568/2, 783/2 कुल किता 8 भूमि रायमल पिता भुरा गुर्जर के नाम दर्ज रेकार्ड थी।

प्रदर्श–5 संवत 2029 से 2032 जमाबन्दी के खाता संख्या 3 में अंकित आराजी संख्या 457/1, 670, 621, 671, 743/4क, 773, 774, 743/2, 832, 874/3, 876, 877, 878, 901, 902, 1568/2, 1569, 1570, 1571, 1572, 1574, 1575, 1576, 1577, 879, 1232 कुल किता 26 भूमि रायमल पिता भुरा गुर्जर के नाम दर्ज रेकार्ड थी। उक्त खाता संख्या में अंकित आराजियात मे से 7 आराजियात, आराजी संख्या 832, 874/3, 877, 876, 1232, 879, 878 वादी के पिता रायमल की खरीदशुदा आराजियात है। शेष 19 आराजियात स्वअर्जित है अथवा पुश्तैनी उसके सम्बन्ध में कोई सटीक दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं कराए गए है।

प्रदर्श–9 जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 के खाता संख्या 342/1 में कुल किता 26 कुल रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा भूमि रायमल पिता भुरा गुजर के नाम दर्ज रेकार्ड थी।

प्रदर्श–6 नामान्तरण संख्या 1278 दिनांक 27.01.1983 को फैसल नामान्तरण में मिसल नम्बर 256/83 का अंकन करते हुए इन्द्राज दुरूस्ती के जरिए 383, 385 में रायमल पिता भुरा के साथ उदेराम, मांगु का नाम जोड़ा गया। खाता संख्या 383 में कुल किता 26 कुल रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा तथा खाता संख्या 385 कुल किता 1 कुल रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा अंकित थी। दोनों खातों में वादीगण के पिता रायमल के साथ उसके भाईयों उदेराम और मांगु का नाम इन्द्राज दुरूस्ती के उक्त नामान्तकरण के जरिए जोड़ा गया है परन्तु वादीगण द्वारा केवल 38 बीघा 18 बिस्वा भूमि के नामान्तकरण को गलत बताया गया है। और 12 बीघा 15 बिस्वा के नामान्तकरण के विषय में वादपत्र में कोई अंकन नहीं किया गया है। दोनों ही खातों में एक ही प्रकार का नामान्तकरण हुआ है, जिसमें इन्द्राज दुरूस्ती का अकंन करते हुए मिसल क्रमांक 256/83 का हवाला देते हुए रायमल के साथ उदेराम, मांगु का नाम जोड़ कर निर्णित किया गया है। वादीगण द्वारा दोनों मे से 1 खाते के नामान्तकरण को गलत बताया गया है जबकि दुसरे खाते के नामान्तरण के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। वादीगण

सहायक कलक्टर

द्वारा मिसल कमांक 256/83 की प्रति वादपत्र में पेश नहीं की गई है। उक्त मिसल के अस्तित्व में ना होने के कोई प्रमाण पेश नहीं किए गए है। ऐसे में मिसल कमांक 256/83 पर विस्तृत विवेचन किए बिना उक्त नामान्तकरण को गलत माना जाना न्यायोचित नहीं है।

प्रदर्श–7 में जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 में खाता संख्या 383 में कुल किता 26 में रायमल पिता भुरा गुजर के नाम दर्ज रेकार्ड थी, इसी जमाबन्दी में अंकन अनुसार इन्तकाल संख्या 1278 दिनांक 27.01.1983 को इन्द्राज दुरूस्ती से रायमल के साथ उदेराम, मांगु का नाम दर्ज करने की स्वीकृती हुई। इसी जमाबन्दी में अंकन अनुसार इन्तकाल संख्या 1401 दिनांक 15.06.1984 को विरासत से रायमल के बजाय लच्छु, छोगा, बालु पिता रायमल के नाम दर्ज करने की स्वीकृती हुई। जमाबन्दी में वादीगण के पिता रायमल की विरासत का नामान्तकरण दर्ज होने से पूर्व हुए नामान्तरण संख्या 1278 दिनांक 27.01.1983 के जरिए वादीगण के पिता रायमल के साथ उदेराम, मांगु का नाम जोड़ा जा चुका था। इसके पश्चात् नामान्तरण संख्या 1401 दिनांक 15.06.1984 को विरासत के नामान्तरण द्वारा वादीगण के पिता रायमल के बजाय वादीगण के नाम वादग्रस्त आराजियात में अंकित किए गए है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण को वादग्रस्त आराजियात में अपने पिता साथ उदेराम, मांगु के नाम अंकित होने की जानकारी वादीगण के पक्ष में विरासत का नामान्तरण खाले जाने के समय से ही थी, परन्तु वर्ष 1984 से वर्ष 2019 में वाद पेश करने तक वादीगण द्वारा नामान्तरण संख्या 1278 को कही भी चुनौति दी गई हो ऐसे साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

प्रदर्श–8 जमाबन्दी संवत 2041 से 2044 में खाता संख्या 477 में अंकित कुल किता 26 में लच्छु, छोगा, बालु पिता रायमल, उदेराम मांगु पिता भुरा गुजर के नाम दर्ज रेकार्ड है। इसी जमाबन्दी में इन्तकाल संख्या 1647 दिनांक 07.11.1987 में विरासत से मांगु के बजाय धर्मा, हीरा, भागु पिता मांगु के नाम दर्ज रेकार्ड हुई। उक्त जमाबन्दी में वादीगण के नाम के साथ–साथ उदेराम, मांगु का नाम दर्ज रेकार्ड था तथा मांगु की मृत्यु के बाद विरासत से उनके विधिक वारीसान के नाम दर्ज रेकार्ड हुए है। वादग्रस्त आराजियात में मांगु के मृत्यु के बाद 1987 में हुए विरासत के नामान्तरण को वादीगण द्वारा कहीं चुनौति दी गई हो ऐसे कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं कराए गए है।

प्रदर्श–10 जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 के खाता संख्या 478 में कुल किता 27 कुल रकबा 51 बीघा 8 बिस्वा भूमि लच्छु, छोगा, बालु पिता रायमल, उदेराम पिता भुरा, धर्मा हीरा भागु पिता मांगु गुर्जर के नाम दर्ज रेकार्ड थी, उक्त खाते में पूर्व प्रदर्शो में अंकित अन्य आराजियत के साथ आराजी संख्या 1597/1ख रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि को खातेदार के खाते में जोड़ा गया है जिससे कुल किता 27 व कुल रकबा 51 बीघा 8 बिस्वा भूमि हो गई। इसी जमाबन्दी में नामान्तरण संख्या 1677 दिनांक 13.06.1989 को विरासत से उदयराम के बजाय नेनु पिता उदा के नाम दर्ज होने की स्वीकृत हुई। वादग्रस्त आराजियात में उदयराम के मृत्यु के बाद 1989 में हुए विरासत के नामान्तरण को वादीगण द्वारा कहीं चुनौति दी गई हो ऐसे कोई साक्ष्य पत्रावली मे उपलब्ध नहीं कराए गए है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श–11 जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 की जमाबन्दी के खाता संख्या 540 में अंकित कुल किता 27 कुल रकबा 51 बीघा 8 बिस्वा भूमि लच्छु, छोगा, बालु पिता रायमल नेनु पिता उदा, धर्मा, हीरा, भागु, पिता मांगु गुजर के नाम दर्ज थी। इस जमाबन्दी में रायमल, उदा, मांगु के वारीसान के नाम खाते में अंकित किए जा चुके थे। वर्ष 1992 तक वादीगण, उदेराम के वारीसान, मांगु के वारीसान सभी वादग्रस्त आराजियात में खातेदारों के रूप में दर्ज हो चुके थे। वादीगण द्वारा वर्ष 2019 में वादपत्र पेश करने से पूर्व वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में कोई वाद, या नामान्तरण को चुनौति नहीं दी गई। प्रदर्श–11 में 27 आराजियात अंकित है, परन्तु वादीगण द्वारा 26 आराजियात के सन्दर्भ में ही वादपत्र पेश किया गया है जबकि सभी आराजियात में समान रूप से नामान्तरण के इन्द्राज किए गए है एवं समान रूप से खातेदारी अधिकार शुरू से ही चलते आए है। ऐसे में आराजी संख्या 1597/1ख रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि को वादपत्र में जोड़े नहीं जाने का भी कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

उपरोक्त प्रदर्शो के विवेचन से न्यायालय ने यह पाया कि वादग्रस्त 26 साबिक आराजियात में से 7 आराजियात के अतिरिक्त अन्य 19 आराजियात के वादीगण के पिता की स्वअर्जित होने के कोई साक्ष्य पेश नहीं किए गए है। वादग्रस्त आराजियात में रायमल के साथ उदेराम, मांगु का नाम रायमल के विरासत के नामान्तरण के पूर्व ही खोला जा चुका था। उक्त नामान्तरण में अंकित मिसल 258/83 से जुड़े कोई दस्तावेज वादपत्र में प्रस्तुत नहीं किए गए है, नाहिं ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया गया है जो साबित करता हो कि मिसल संख्या 258/83 अस्तित्व में नहीं है अथवा अवैध है। वादपत्र में उक्त नामान्तरण को अपास्त करने का अनुतोष भी नहीं चाहा गया है। ऐसे में दस्तावेजों के अभाव में नामान्तरण को त्रुटिपूर्ण या अवैध माना जाना न्यायोचित नहीं है। वादीगण के पक्ष में विरासत का नामान्तरण खोले जाने से पूर्व उदेराम, मांगु के नाम वादग्रस्त आराजियात में जोड़े जा चुके थे। अतः अपने पक्ष में विरासत का नामान्तरण खाले जाने के समय इसकी जानकारी वादीगण को थी, परन्तु उक्त नामान्तरण तथा इसके पश्चात् हुए विरासत के 3 नामान्तरण को वादीगण द्वारा कहीं भी चुनौति नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र साक्ष्यों के अभाव में अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् साक्ष्यों के अभाव में अस्वीकार किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25/5/26 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
रायपुर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 77/2019

जीसीएमएस नम्बर :– 2019/00203

उनवान

1. लच्छु आत्मज रायमल गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. छोगा आत्मज रायमल गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बालु आत्मज रायमल गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. शंकर आत्मज नैनु गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कंवरलाल आत्मज नैनु गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. धर्मा आत्मज मांगु गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हीरा आत्मज मांगु गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भागु आत्मज मांगु गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् साक्ष्यों के अभाव में अस्वीकार किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 25/5/26 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner